केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00135
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00472
अपीलकर्ता श्री एस. कुमार
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	06.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12...2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.के चितकारा CPIO, (DR to CIC)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.11.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.11.2024
निर्णय की तारीख	20.12.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"निवेदन यह है कि आवेदन द्वारा दिनांक 06.09.2024 को ED77813741IN Speed Post India के माध्यम से विषय RTI Act - 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत पत्र दर्ज करवाया गया है। जो कि विभाग में पंजी क्र० CIC/PMOIN/C/2024/128983 पर दर्ज है। शिकायत पत्र की कॉपी सल्गन Indian Postal order No. 65F126126 के माध्यम से रूपए 10/Rs - प्राप्त करने के बाद उपरोक्त शिकायत पत्र के सन्दर्भ में विभाग द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की A.T.R आवेदन को प्राप्त कराने की अनुपम कृपया करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के चितकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 12.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"With reference to your RTI application dated 01.11.2024 received on 06.11.2024, it is intimated that you second appeal No. CIC/PMOIN/C/2024/128983 is pending for hearing. The aforesaid second appeal will be listed for hearing as and when your turn comes."

3. प्रथम अपील का आधार

"निवेदन यह है कि आवेदन द्वारा दिनांक 06.09.2024 को Vide ED 77813741IN के माध्यम से विषय:- एक्ट 2005 की धारा 18 के तहत आपके विभाग में शिकायत पत्र दर्ज कराया गया था। शिकायत पत्र की कॉपी सल्गन आवेदक द्वारा आपके विभाग में शिकायत पत्र दर्ज कराये हुए 80 दिनों से भी ज्यादा का समय हो गया है। शिकायत से संबंधित विभाग द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के सन्दर्भ में दिनांक 30.10.2024 को कानून के प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा A.T.R चाही गई। R.T.I. पत्र की कॉपी सल्गन R.T.I. पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 12.11.2024 को पत्र क्र० CICOM/R/P/24/00472 के माध्यम से विभाग द्वारा आवेदक को सूचना प्राप्त कराई गई प्राप्त सूचना अनुसार शिकायत पत्र को द्वितीय अपील में परिवर्तित कर आवेदक की बारी आने पर सुनवाई करने को कहा गया है। पत्र की काँपी सल्गन आवेदक द्वारा विभाग को स्पष्ट कर देना चाहता है कि आवेदक द्वारा दर्ज शिकायत को FAA में परिवर्तित न करने कानून के प्रावधानों के तहत तय समय - सीमा में शिकायत का निवारण कर आवेदक को राहत दिलाई जाये। ताकि आवेदक अपना रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन ख़ुशी से व्यतीत कर सके। CIC के नियमों अनुसार FAA प्रस्तुत करने हेतु शुल्क माफ़ है तथा RTI Act, 2005 की धारा 19(1) के तहत कार्यवाही करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाये ताकि आवेदक को न्याय मिल सके।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00472 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.12.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : **011-26105021**

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(D) 20/12/24.

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 DEC 2024
D. No....
Initials....